FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम माण्डल

लक्ष्मीलाल बनाम योगेश

मुकदमा प्रा०पत्र नं. 473/2016 प्रा०पत्र सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.3.18	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना-पत्र 07, R11 जा०दी० धारा 151 पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07, R11 संपठित धारा 151 जा०दी० का प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादीगण गोरधन लाल, बद्रीलाल व मनोहर लाल ने अपने आप को स्व० [illegible] श्री लक्ष्मीलाल जी के विधिक उत्तराधिकारी बताया, जबकि जानकारी से यह सामने आया कि स्व० श्री लक्ष्मीलाल जी के पाँच पुत्रियां जिनका नाम क्रमश: पदरी देवी, आनन्दी देवी, माया देवी, सकुन्तला देवी एंव प्रभा देवी भी है। वादीगणों ने उक्त तथ्य को छिपाया और उन्हें उक्त प्रकरण की सूचना दिये बगैर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें पाँचों पुत्रियों की आवश्यक पक्षकार है, जिनको पक्षकार नहीं बनाया है। इसके अभाव में मिस जोईन्डर आफ पार्टी के अभाव में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पोषणीय नहीं होकर काबिल खारीज किये जाने योग्य है। तथा आवेदन पत्र में कहीं भी यह अभिलिखित	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	नही किया कि लक्ष्मीलाल जी कि पुत्रियो द्वारा उक्त आवेदन पत्र पेश करने मे सहमति दी या सहमति देने से मना किया, जबकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पिता की सम्पत्ति मे पुत्रियो का भी पुत्रो के समान ही अधिकार है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि तथाकथित आवेदकगण योगेश कुमार, दादा जी व गोपाल जी देवकी के ससुर रामचन्द्र जी के छोटे भाई स्व० लक्ष्मीलाल के उत्तराधिकारी है या नही, इस आधार पर आवेदकगणो का मूल आवेदन पत्र आदेश 07 नियम 11 जा०दी० 151 के तहत खारीज किये जाने योग्य है।	
	प्रकरण मे उभय पक्षो की बहस सुनी गई, वकील वादीगण राकेश जैन ने कथन किया कि पाँच बेटियो को आवश्यक पक्षकार नही बनाया जाना और मिस जोईन्डर आफ पार्टी आदेश 7 नियम 11 एंव धारा 151 जा०दी० के दायरे में नही आता है, और प्रति-वादीगणो द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एंव धारा 151 जा०दी० को खारीज किया जावे, जबकि वकील प्रतिवादीगण देईलाल रावत ने कथन किया कि स्व० श्री लक्ष्मीलाल जी की पांच बेटियो को आवश्यक पक्षकार को पार्टी नही बनाया तथा उनकी सहमति या सहमति देने से मना किया सबंधी किसी तथ्य का उल्लेख नही किया। अत: सी०पी०सी० आदेश 01 नियम 09 के तहत मिस जॉइन्डर-	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मांडल

लक्ष्मीलाल बनाम योगेश

म मुकदमा प्रा०पत्र नं. 473/2016 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आफ पार्टिज का मामला है। तथा 151 के तहत कोर्ट को अन्तरण पावर है। और तथाकथित आवेदकगण आवश्यक पक्षकार है या नही यह स्पष्ट नही है। अत: तथाकथित आवेदकगण को पक्षकार बनाना व आवश्यक पक्षकारो का पार्टी न बनाना कोर्ट की प्रक्रिया को गलत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के खिलाफ है। इसलिये सभी आवश्यक पक्षकारो को पार्टी बनाया जाना न्याय हित में होगा, इस आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा०दी० स्वीकार फरमाया जावे। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगणो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना-पत्र आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जा०दी० को स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अत: न्याय हित मे प्रतिवादीगणो का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 एवं धारा 151 जा०दी० को स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	